फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 29/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 31.08.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा जरिये क्रमांकः भू.अ./सू.अ./2021/826–27 दिनांक 31.08.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र के बिन्दु सं. 1 के अनुसार सूचना चाही गई थी। जो अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/सू.अ./2021/612–13 दिनांक 22.07.2021 के जरिये डाक अपीलार्थी के पते पर सूचना भिजवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा तहसील कुम्भलगढ के समस्त पटवार मण्डलों में कुल कुओं की संख्या व बिना मुंडेर के कुंओं की सूचना चाही गई थी। जो प्रार्थी को बिन्दु संख्या के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/सू.अ./2021/612–13 दिनांक 22.07.2021 के जरिये डाक अपीलार्थी के पते पर सूचना भिजवा दी गई है। बिना मुण्डेर के कुओं से सम्बन्धित इस कार्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नही होने से सूचना शून्य प्रेषित हैं। अपीलार्थी कुओं से संबंधित अन्य कोई सूचना व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन कर प्रकरण से संबंधित अभिलेख अंकित सूचना प्राप्त कर सकता हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, कुम्भलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)